कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 3166 / न्या.लि. / 2020 रायगढ़, दिनांक 13 / 04 / 2020

प्रति,

1. पुलिस अधीक्षक,
2. जिला परिवहन अधिकारी
   जिला–रायगढ़

विषयः– आवश्यक एवं गैर–आवश्यक माल परिवहन एवं मालवाहनों की आवाजाही के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– छ.ग. शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / 63 / परि.वि. / टी.सी / 2020 दिनांक 13 / 04 / 2020

---00---

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्र की छायाप्रति आपकी ओर सम्प्रेषित है जिसमें लेख किया गया है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 40–3 / 2020–DM-1(A) दिनांक 12 / 04 / 2020 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा आवश्यक एवं गैर–आवश्यक वस्तुओं के परिवहन कर रहे माल वाहनों को रोका जा रहा है। राज्यों द्वारा निर्देशों के पूर्ण पालन नहीं करने से अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी होने की संभावना है। अतः निर्देशों के कियान्वयन व कड़ाई से पालन करने हेतु प्रमुख निर्देश बिन्दु का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

1. आवश्यक एवं गैर–आवश्यक वस्तुओ के परिवहन कर रहे मालवाहनों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति है। माल वाहक के चालक के पास वैद्य ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक होगा, परंतु वाहन संचालन हेतु पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
2. माल उठाने जाने के समय अथवा माल की डिलिवरी पूर्ण करने के पश्चात वापसी के समय माल वाहनों को लदान रहित संचालन करना पड़ता है। अतः लदान रहित माल वाहनों को रोकने का कोई कारण नहीं है, बशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज हों जैसे ड्रायविंग लायसेंस और परमिट इत्यादि।
3. स्थानीय प्रशासन के द्वारा ट्रक चालक एवं क्लीनर को उनके निवास स्थान से उनके ट्रकों के स्थान तक आवाजाही हेतु सकिय रूप से सुविधा प्रदान की जाए।
4. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन / स्थानीय प्रशासन के द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पाट) की आवश्यकता वाले क्षत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे।

क्रमशः 2

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान COVII 19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के बारे में समस्त मैदानी प्रवर्तन अमलें (पुलिस/परिवहन) को भी सूचित किया जाए, ताकि जमीनी स्तर पर कोई अस्पष्टता न हो और भारत सरकार, गृह मंत्रालय के द्वारा अनुमति दिये गये कार्यों को बिना किसी बाधा के संचालित किया जा सके।

कृपया उक्त दिशा–निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(यशवन्त कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/3166 A/न्या.लि./2020 रायगढ़, दिनांक 13/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़
3. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़
4. आयुक्त बिलासपुर, संभाग बिलासपुर
5. महानिरीक्षक पुलिस बिलासपुर

--- की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
7. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़
8. सर्व तहसीलदार, जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला रायगढ़
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत परिषद्/नगर पंचायत, रायगढ़

--- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उक्त दिशा–निर्देश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

11. उपसंचालक, जनसंपर्क रायगढ़ की ओर निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)